न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 10/2022 (धारा 76 भू राज0 अधि01956) (RCMS No.2022/10)

खूबीराम पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी बरवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर मु0नं0 19/2020 खूबीराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.12.2021 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 16.01.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 28.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई ने आदेश दिनांक 22.09.2020 से अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 165/06 ऐयर किस्म जमीन बंजड सिवायचक में से 02 ऐयर पर लकडी, घूडा डालकर अतिक्रमणी पाये जाने पर 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसकी अपील अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2021 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई का निर्णय दिनांक 22.09.2020 यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। जिला कलक्टर भरतपुर एवं नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं हैं क्योंकि नायब तहसीलदार नदबई ने जो नोटिस अपीलान्ट को लकडी घूरा डालकर शिवालय मंदिर होने बाबत दिया

16.1.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

था उसका जबाब अपीलान्ट के द्वारा नायब तहसीलदार नदबई के यहां दिनांक 04.09.2020 को प्रस्तुत किया था और जबाब में यह स्पष्ट लिखा था कि आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 6 ऐयर किस्म बंजड वाकै ग्राम अंगनपुरा के 2 ऐयर पर कोई कब्जा नहीं किया है, बल्कि करीब 70 वर्ष से अपीलान्ट के भाई कमलसिंह ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 166 वाकै ग्राम अंगनपुरा में कुछ हिस्से पर मकान निर्माण किया हुआ है व पुराना गौत बना हुआ है व पुरखों के समय से शिवालय बना हुआ है, परन्तु हर दो लायक अदालत तहत ने जबाब पर कोई गौर नहीं किया और पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर नायब तहसीलदार नदबई ने दिनांक 20.9.2020 को जल्दबाजी में बेदखल कर दिया और जिला कलक्टर भरतपुर ने भी इस बाबत कोई फाईडिंग अपने निर्णय में नहीं दी और पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16.9.2020 को ही आधार मानकर अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया जो अवैध है इस कारण दोनों फैसले उपरोक्त आधार पर निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि जिला कलक्टर भरतपुर ने भी इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि पटवारी हल्का को रिपोर्ट साबित करने के लिये नायब तहसीलदार नदबई द्वारा तलब नहीं किया गया और ना कोई बयान लिये गये और ना ही अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया तथा अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया। केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को बिना साबित हुये आधार मानकर फैसला बेदखली एवं पैनल्टी गलत दिया हैं और जिला कलक्टर भरतपुर ने भी फैसले को बदस्तूर रखकर कानूनी गलती की है। इस कारण हर दो तहत अदालतों के अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में 2 ऐयर का रकबा होने के कारण स्ट्रीफ आफ लैण्ड होने के आधार पर एस0 डी0 ओ0 नदबई को कमेटी द्वारा आवंटन/नियम करने की प्रार्थना भी की थी, परन्तु जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की प्रार्थना पर कोई गौर नहीं किया और अपीलान्ट को नायब तहसीलदार के फैसले को बदस्तूर रखकर एवं न्यायिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर अपील को खारिज करने में कानूनी गलती की है। वकीलअपीलान्ट ने राजस्थान भू–राजस्व वाडों हेतु आवंटन नियम 1961 की धारा 4 का उल्लेख कर तर्क दिया कि इस धारा के तहत अपीलान्ट विवादित भूमि का आवंटन/नियमन कराने का अधिकारी है परन्तु इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा नजरअंदाज कर गलत रूप से बेदंखली करते हुए शास्ती आरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया है जो कि विधि विरूद्ध है। इस तथ्य को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त नहीं ध्यान रखा गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश हर दो अदालत जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 28.12.2021 व नायब तहसीलदार नदबई दिनांक 22.9.2020 निरस्त फरमाया जावे एवं नोटिस अंतर्गत 91 एल आर एक्ट ड्रॉप किया जावे एवं आराजी 2 ऐयर होने के कारण अपीलान्ट के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हक में उपखण्डाधिकारी नदबई को बाडे हेतु आवंटन/नियमन करने की कार्यवाही करने के आदेश दिये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2021 विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर पारित किया गया जिसमें किसी भी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का करीली द्वारा अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 165/0.06 ऐयर में से रकबा 0.02 ऐयर गैर मुमकिन बंजड सिवायचक पर लकडी, घूडा डाल कर अतिक्रमण किये जाने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत निर्णय दिनांक 22.9.2020 पारित किया गया था जिसकी पुष्टि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2021 के तहत की गई है। अपीलान्ट को हर दो तहत अदालतों में सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। अपीलान्ट के द्वारा जबाब भी पेश किया गया है जिसमें अंकित किया है कि ....." अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि पर आज से करीब 70 वर्ष पूर्व से कमलसिंह पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई द्वारा अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 166 रकबा 0.06 वाकै ग्राम अंगनपुरा तहसील नदबई के कुछ भाग में मकान निर्माण किया हुआ है यानि पुश्तैनी रूप से कब्जा चला आ रहा है।....." उक्त जबाब से अपीलान्ट के अवैध कब्जे की पुष्टि होती है।

पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 16.9.2020 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 गै0मु0 बजंड सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। ख0नं0 165 व 166 की मेड तोडकर दोनों नम्बर मिले हुये है । आ0ख0नं0 166 रकबा 0.06 अपीलान्ट के भाई कमलसिंह पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी बरबारा खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जिसमें कमलसिंह का पक्का मकान बना हुआ है। आ0ख0नं0 165 रकबा 0.06 गै0मु0 बंजड सिवायचक में अपीलान्ट डालचन्द पुत्र गरीबा जाटव की झौंपडी व घूरा, बिटौरा आदि अस्थाई अतिक्रमण किया हुआ है साथ ही शिव परिवार मूर्ति विराजमान है। विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 गै0मु0 बंजड सिवायचक दर्ज है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश नियमों के अनुकूल पारित किया है। अपीलान्ट की अपील बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। अपीलान्ट के स्वयं के द्वारा अपनी अपील में प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा माना है इसके अलावा वे स्वयं अपनी अपील के पैरा संख्या 4 में यह स्वीकार करते है कि अतिक्रमित रकबा स्ट्रीफ आफ लैण्ड होने के आधार पर उनके द्वारा एसडीओ नदबई को आवंटन/नियमन करने की प्रार्थना भी की थी। अपीलान्ट के द्वारा अपनी द्वितीय अपील के अन्त में भी आवंटन/नियमन किये जाने की इस्तदुआ की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि वह सार्वजनिक भूमि पर अपना पुराना कब्जा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिखा कर राजकीय बंजड सिवायचक भूमि का अपने हक में नियम विरूद्ध तरीके से आवंटन नियमन कराना चाहता है। जबकि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 16.9.2020 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 गै0मु0 बजंड सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। जो सार्वजनिक हितार्थ भूमि है जिसका आवंटन नियमन किया जाना नियमों/प्रावधानों के प्रतिकूल है ऐसी स्थिति में तहत अदालत ने परीक्षण न्यायालय के आदेश की अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो पुष्टि की गई है वह न्यायसंगत है। इस मामले में अपीलान्ट किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अ पीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के मकान खातेदारी की भूमि पर बने हुए हैं। अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि को बाडे के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी हो रही है तथा उक्त भूमि का अपीलान्ट बाडे हेतु राजस्थान भू–राजस्व आवंटन नियम 1961 के तहत आवंटन/नियमन कराने की पात्रता रखता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2021 एवं नायब तहसीलदार नदबई का आदेश दिनांक 22.09.2020 निरस्त किया जावे। तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नदबई को बाडे के आवंटन/नियमन हेतु प्रेषित किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट ने मीमो आफ अपील एवं बहस में विवादित भूमि पर 70 वर्ष पूर्व से मकान व पुराना गौतः बने होने का उल्लेख करते हुए नायब तहसीलदार नदबई द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 22.09.2020 पारित किये जाने तथा जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2021 में अपीलान्ट का पुराना मकान व गौत बने होने के बारे में कोई फाईडिंग नही दिये जाने का तर्क दिया है। इसी तरह विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व बाडे हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 के तहत बाडे हेतु भूमि आवंटित/नियमित किये जाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नदबई को भिजवाये जाने का उल्लेख किया है। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय में नायब तहसीलदार नदबई की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में विद्वान जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 28.12.2021 में वकील अपीलान्ट व सरकारी पैरोकार द्वारा की गई बहस का उल्लेख करते हुए यह माना है कि अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नम्बर 165 रकबा 6 ऐयर में से 2 ऐयर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिकमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई थी। अपीलान्ट ने नायब

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहसीलदार के न्यायालय में विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होने का जबाब प्रस्तुत किया था जिसपर नायब तहसीलदार नदबई ने पटवारी हल्का से अतिक्रमण के संबंध में पुनः रिपोर्ट प्राप्त की। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 16.09.2020 में विवादित भूमि के 2 ऐयर रकबे पर अपीलान्ट द्वारा झौपडी, घूरा, बिटौरा आदि डालकर अतिक्रमण किया है व शिव परिवार मूर्ति विराजमान है। इस रिपोर्ट से अपीलान्ट के द्वारा विवादित भूमि पर किये गये अत्रिकमण की पुष्टि होना मानकर विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण आवंटन/नियमन किया जाना उचित नहीं मानकर नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 को उचित मानते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की है। इस आदेश में हमें किसी भी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। क्योंकि नायब तहसीलदार नदबई व विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया है। इसके अलावा अपीलान्ट ने मीमो आफ अपील में विवादित खसरा नम्बर 165 रकबा 6 ऐयर के 2 ऐयर रकबे पर कोई कब्जा नहीं होना बताया है। वरन् 70 वर्षों से अपीलान्ट के भाई कमलसिंह की खातेदारी भूमि की कुछ खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 166 के कुछ हिस्से पर पुराने मकानात व पुरखों के समय से शिवालय बना होने का उल्लेख किया है। दूसरी ओर वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व बाडों हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 के नियम 4 के तहत बाडे के लिये भूमि आवंटित/नियमित किये जाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नदबई को भिजवाये जाने का कहा है। उक्त दोनों तथ्य विरोधावासी है। नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम अगनपुर पटवार हल्का करीली के खसरा नम्बर 165 रकबा 0.6 ऐयर बंजड में से 2 ऐयर रकबे पर अपीलान्ट द्वारा घूरा डालकर व मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट दिनांक 06.08.2020 को नायब तहसीलदार नदबई के समक्ष प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार नदबई द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस कमांक 673 दिनांक 07.08.2020 जारी किया गया। उक्त नोटिस का अपीलान्ट की ओर से दिनांक 04.09.2020 को जबाब पेश किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 ऐयर की 2 ऐयर भूमि पर प्रार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। वरन् अपीलान्ट के भाई कमलसिंह की खातेदारी में स्थित खसरा नम्बर 166 में पुराना मकान व गौत बना हुआ है। इसलिए नोटिस ड्राप किया जावे। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब पर नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पटवारी हल्का से पत्र दिनांक 15.09.2020 के द्वारा विवादित भूमि की वर्तमान मौका स्थिति मांगी गयी। पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 16.09.2020 में उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

16.7.2021
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

165 व 166 की मेड तोडकर दोनों नंबर मिले हुए हैं। आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 6 ऐयर कमलसिंह पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी बरवारा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें कमलसिंह का पक्का मकान बना हुआ है। आराजी खसरा नंबर 165 रकबा 0.06 ऐयर गैर–मुमकिन बंजड सिवायचक में खूबीराम पुत्र गरीबा जाति जाटव का मकान बना हुआ है। तथा डालचंद पुत्र गरीबा जाति जाटव झौपडी, घूरा, बिटौरा आदि डालकर अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है साथ ही शिव परिवार मूर्ति विराजमान है। उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के अलावा खूबीराम दीनदयाल व कमलसिंह के भी हस्ताक्षर हैं। अतः वकील अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं है, सारहीन हो जाता है। इसी तरह विवादित भूमि पर पुरान कब्जा होने के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व बाडे हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 के नियम 4 के तहत जहां तक भूमि आवंटित/नियमित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य न तो अदालत हाजा में ही और न ही निचली अदालत मातहतों में ही प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विवादित भूमि को बाडे हेतु आवंटित/नियमित किये जाने का निर्देश दिया जाना उचित नही है। चूंकि नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब पर पुनः पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद निर्णय दिनांक 22.09.2020 को पारित किया है जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। इसी प्रकार जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए दिनांक 28.12.2021 को विस्तृत, स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित किया है। इसलिए उक्त आदेश में भी हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2021 व नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.01.2023.को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर